



सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या—07

सोमवार, दिनांक—10 मार्च, 2025 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 12:52 बजे अप० तक

[1] प्रश्नकाल :-

- (i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- (ii) 17 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- (iii) 12 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
- (iv) 75 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या—561 शिक्षा विभाग में स्थानांतरित।

तारांकित प्रश्न संख्या—581 स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित।

तारांकित प्रश्न संख्या—566 के दौरान सरकार के 1 उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य शोरगुल करते हुए बेल में आ गए।

आसन द्वारा कहा गया कि सरकार ने विस्तृत उत्तर दिया है साथ ही उन्होंने विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया। परन्तु विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरांत विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों का सदन में पुनरागमन हुआ।

प्रश्न काल में बहिर्गमन के उपरांत सदन में पुनः आगमन के पश्चात् माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा अपने तारांकित प्रश्न संख्या—576 को पुनः पूछे जाने का आग्रह किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव को बताया गया कि उनका नाम पुकारा गया था परन्तु उस समय वह सदन में उपस्थित नहीं थे। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव के संतुष्ट न होने पर आसन द्वारा माननीय सदस्य को प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के आलोक में ही प्रश्नों के संबंध में कार्यवाई किए जाने की बात कही गयी।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी द्वारा आसन से कहा गया कि प्रश्न-काल के दौरान विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगणों ने सिर्फ एक प्रश्न का ही बहिष्कार किया एवं

थोड़ी ही देर बाद वे सदन में वापस आ गए। तदुपरांत उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव के तारांकित प्रश्न संख्या-576 को स्थगित कर अगली तिथि को उत्तर दिया जाए।

तत्पश्चात् आसन द्वारा कहा गया कि बिहार विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम-90 के तहत प्रश्नों को क्रम से पूछे जाने का उल्लेख किया गया। आसन द्वारा विस्तार से बताया गया कि प्रश्न-काल के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी का नाम पुकारा गया था पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे। फिर वह क्रम में माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा के प्रश्न तक चले गए उससे पहले आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता का नाम पुकारा गया था। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता खड़े नहीं हो पा रहे थे तो आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी का नाम पुकारा गया। वह भी सदन में उपस्थित नहीं थे तो क्रमवार माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा का नाम पुकारा गया उसी दौरान माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता जी ने कहा कि वह सदन में ही उपस्थित है तब आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया गया।

तत्पश्चात् आसन द्वारा संबंधित माननीय मंत्री से माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव को उनके प्रश्न का उत्तर उपलब्ध करा देने का निदेश दिया गया।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, श्री सूर्यकान्त पासवान, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री महा नंद सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री सत्यदेव राम, श्री मोहम्मद अंजार नईमी एवं श्री रणविजय साहू तथा श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अजय कुमार एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा अपने-अपने दिए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री इजहारूल हुसैन	(xviii) श्री मुकेश कुमार यादव
(ii) श्री विजय कुमार	(xix) श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
(iii) श्री अजय कुमार	(xx) श्री राजेश कुमार गुप्ता
(iv) श्री विद्या सागर केशरी	(xxi) श्री विजय कुमार खेमका
(v) श्री मोहम्मद अनजार नईमी	(xxii) श्री रणविजय साहू
(vi) श्री महा नंद सिंह	(xxiii) श्री सूर्यकान्त पासवान
(vii) श्री अमरजीत कुशवाहा	(xxiv) श्री सत्यदेव राम
(viii) श्रीमती गायत्री देवी	(xxv) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(ix) श्री अजीत कुमार सिंह	(xxvi) श्री विनय बिहारी
(x) श्री मिश्री लाल यादव	(xxvii) श्री समीर कुमार महासेठ
(xi) श्रीमती रश्मि वर्मा	(xxviii) श्री ललित नारायण मण्डल
(xii) सुश्री श्रेयसी सिंह	(xxix) श्री शिवप्रकाश रंजन
(xiii) श्री वीरेन्द्र कुमार	(xxx) श्रीमती नीतु कुमारी
(xiv) श्री रामबली सिंह यादव	(xxxi) श्री कुमार शैलेन्द्र
(xv) श्री गोपाल रविदास	
(xvi) श्रीमती प्रतिमा कुमारी	
(xvii) श्री अखतरूल ईमान	

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- (i) माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव एवं अन्य सभासदों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित तथा दिनांक-04 मार्च 2025 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डॉ० सुनील कुमार द्वारा दिया गया।
- (ii) माननीय सदस्य, श्री विद्या सागर केशरी एवं अन्य सभासदों का गृह विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री विद्या सागर केशरी द्वारा पढ़ा गया एवं बिहार सरकार के मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया।
- (iii) माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का श्रम संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा पढ़ा गया तथा श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री, श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा वित्त विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या-7 की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:05 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग (शिक्षा विभाग) पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन द्वारा अनुदान की मांगों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव पर वाद विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०
2. श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, स०वि०स०
3. श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स०
(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया।)
4. श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स०वि०स०
5. श्री उमाकांत सिंह, स०वि०स०
6. श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०
7. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स०

8. श्री अजय कुमार, स०वि०स०
9. श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स०
10. श्री अखतरूल ईमान, स०वि०स०
11. श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

12. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स०
13. श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स०

तदुपरान्त माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा सरकार की ओर से वाद-विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् अनुदान की शेष मांगे बारी-बारी से गिलोटीन(मुखबंद) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] विधायी कार्य – राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“बिहार विनियोग विधेयक, 2025”

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा “बिहार विनियोग विधेयक, 2025” को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त “बिहार विनियोग, 2025” सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 36 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार दिनांक-11 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-10.03.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।